न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियां, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी प्रकरण सं0 03/17

हरभजनसिंह वगैरा बनाम ग्राम पंचायत 9 जैड

आदेश प्रार्थना पत्र अ0 धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं आदेश 19 नियम 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित :
1.श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2.श्री गुरदास सिंह ढिल्लो, अधिवक्ता,अप्रार्थी ग्राम पंचायत

आदेश दिनांक : 27–3–2017

प्रार्थना प0 अ0 धारा 11 सीपीसी

अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, 9 जैड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा चक 7 जैड के मु0 नं0 41 के कि0 नं0 3 में स्थित भूखण्ड सं0 38 व 55 के आगे गली आम की जगह पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। पंचायत द्वारा इस कालौनी में पंचायत सामिति की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 10035 दिनांक 27–12–16 द्वारा सी सी रोड का निर्माण, पाईप लाईन व नाली निर्माण गुरूनानक चक्की से गुरदाससिंह के घर तक करवाया जा रहा है, के संबंध में तकनीकी स्वीकृति पंचायत समिति के पत्र कमांक 1326 दिनांक 23.12.16 प्रदान की हुई है। विकास कार्य में बाधा पैदा करने की नियत से प्रार्थीगण द्वारा एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 6–1–17 को ग्राम न्यायालय में पेश किया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा जवाब दिनांक 9–1–17 को पेश किया जा चुका है तथा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया, जिस पर ग्राम न्यायालय द्वारा दिनांक 15–2–17 को निर्णय पारित करते हुए दावा को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार इस विषय वस्तु पर सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, उसी विषय वस्तु पर निगरानी चलने योग्य नहीं है। नोटिस के खिलाफ पेश की गई निगरानी खारिज होने योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी खारिज की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निगरानीकर्ता/अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया कि ग्रामीण न्यायालय द्वारा वाद पत्र तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है। गुणदोष पर वाद का निर्णय नहीं किया गया है। ग्रामीण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील जिला न्यायालय, श्री गंगानगर के समक्ष दायर की जा चुकी है। ग्राम न्यायालय के वाद पत्र की विषयवस्तु तथा निगरानीकृत प्रकरण की विषयवस्तु पूर्ण रूप से भिन्न –भिन्न है इसलिए धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। निगरानीकृत आदेश पूर्ण रूप से मनमाने तौर पर बिना किसी कानूनी प्रकिया की पालना किये Non Speaking आदेश किया गया है, जिसकी निगरानी ही मात्र संधारण योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 19 नियम (2) सपठित धारा 151 सीपीसी

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A12
2

उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 10–3–17 को प्रस्तुत कर कथन किया है कि जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी सरपंच द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जो सरपंच स्वंय द्वारा हस्तलिखित नहीं हैं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं इसलिए न्यायहित में शपथग्रहिता से प्रतिपरीक्षा हेतु तलब किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस प्रकार निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत 9 जैड जरिये सरपंच अनुपमा पुत्री लीलाधर बिश्नोई निवासी 7 जैड को प्रतिपरीक्षा हेतु तलब करने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब ग्राम पंचायत के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न कर सीधे बहस की गई है।

उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि विकास कार्य में बाधा पैदा करने की नियत से प्रार्थीगण द्वारा एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 6–1–17 को ग्राम न्यायालय में पेश किया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा जवाब दिनांक 9–1–17 को पेश किया जा चुका है तथा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया, जिस पर ग्राम न्यायालय द्वारा दिनांक 15–2–17 को निर्णय पारित करते हुए दावा को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार इस विषय वस्तु पर सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, उसी विषय वस्तु पर निगरानी चलने योग्य नहीं है। नोटिस के खिलाफ पेश की गई निगरानी खारिज होने योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी खारिज की जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि ग्रामीण न्यायालय द्वारा वाद पत्र तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है। गुणदोष पर वाद का निर्णय नहीं किया गया है। ग्रामीण न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील जिला न्यायालय, श्री गंगानगर के समक्ष दायर की जा चुकी है। ग्राम न्यायालय के वाद पत्र की विषयवस्तु तथा निगरानीकृत प्रकरण की विषयवस्तु पूर्ण रूप से भिन्न –भिन्न है इसलिए धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। निगरानीकृत आदेश पूर्ण रूप से मनमाने तौर पर बिना किसी कानूनी प्रकिया की पालना किये Non Speaking आदेश किया गया है, जिसकी निगरानी ही मात्र संधारण योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्तागण द्वारा बतौर प्रार्थीगण ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1,2 सठित धारा 151 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, उसमें ग्राम पंचायत 9 जैड को भी पक्षकार बनाया गया है, जो वर्तमान निगरानी में भी बतौर अप्रार्थी पक्षकार है। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाके 7 जैड मु0 नं0 41 कि0 नं0 3, मकान नं0 38 व 55 वाके गुरू देगबहादुर नगर के किसी भाग में स्वंय अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने, वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग में बाधा पैदा करने तथा किसी प्रकार से तोड़फोड़ करने से बाज व ममनू रहने का अनुतोष चाहा गया था तथा इसी वाद में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ था। ग्राम न्यायालय द्वारा दिनांक 15–2–17 को वादीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया गया है। हस्तगत निगरानी के माध्यम से भूखण्ड सं0 38 व 55 कृषि भूमि वाके चक 7 जैड के मु0 नं0 41 के किला नं03 में स्थित है, जिसमें ग्राम पंचायत को सड़क निर्माण का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है, इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ताण को जारी नोटिस दिनांक 1–2–17

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AB
3

को निगरानी में चुनोति देकर नोटिस निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। ग्राम न्यायालय व हस्तगत निगरानी की विषयवस्तु एक है तथा पक्षकार भी एक समान है।

जहॉ तक नोटिस को आधार बना कर निगरानी प्रस्तुत करने का प्रश्न है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अनुसार " Power of revision and review by Government – [1] The state Government may, either of its own motion or on an application from any person interested call for and examine the record of a Pancyati Raj Institution or of a standing committee or sub committee their of in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decesion or order passed theirin or as to the regularity of such procedings and, if any case, it appears to the state Government that any such decision or order should be modified annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass orders accordingly.

हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण को जारी नोटिस दिनांक 1–2–17 को निगरानी का आधार बनाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस के माध्यम से निगरानीकर्तागण को निम्नानुसार कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है :–

" गुरूनानक चक्की से गुरदास के घर तक नाली व सी0सी0 रोड़ स्वीकृत है इसलिए आपके द्वारा सड़क में किया गया अतिक्रमण सात दिवस में दिनांक 8–2–17 तक हटाया जावे अन्यथा आपके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण हर्जाना आपसे वसूल किया जावेगा "।

धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अनुसार निगरानीकृत नोटिस न तो अंतिम आदेश है और न ही निर्णय है तथा न ही निगरानीकृत नोटिस पंचायती राज संस्था की स्टैण्डिंग कमेटी व सब कमेटी की प्रोसिडिंग्स है इसलिए नोटिस के आधार पर हस्तगत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

जहॉ तक निगरानीकर्ता द्वारा आदेश 19 नियम 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शपथग्रहिता को प्रतिपरीक्षा हेतु तलब किये जाने का प्रश्न है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। निगरानी में साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अनुसार ग्राम पंचायत के रेकार्ड का परीक्षण करना होता है। अतः ऐसी स्थिति में शपथग्रहिता से प्रतिपरीक्षा का आदेश पारित किया जाना धारा 97 के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्परूप, धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निगरानीकृत नोटिस के आधार पर निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश 19 नियम 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 27–3–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/17

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner